



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2026

विषय:- जनपद लखनऊ में लखनऊ नगर के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-6 के अन्तर्गत हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मोहान रोड आलमनगर ओवर ब्रिज से रिंग रोड भूहर क्रासिंग तक नाला निर्माण सम्बंधी परियोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं संख्या-160/2026/ 1297/आठ-1-26-79 बजट/2018-2068747 दिनांक 29.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखनऊ में लखनऊ नगर के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-6 के अन्तर्गत हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मोहान रोड आलमनगर ओवर ब्रिज से रिंग रोड भूहर क्रासिंग तक नाला निर्माण सम्बंधी परियोजना निविदा धनराशि ₹0 573.92 लाख में जी0एस0टी0 की धनराशि ₹0 68.18 लाख को सम्मिलित करते हुए परियोजना की धनराशि ₹0 642.10 लाख (रूपये छः करोड़ बायालीस लाख दस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- इस सम्बंध में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-235/ईई-0606 दिनांक 19.06.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश जनपद लखनऊ में लखनऊ नगर के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-6 के अन्तर्गत हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मोहान रोड आलमनगर ओवर ब्रिज से रिंग रोड भूहर क्रासिंग तक नाला निर्माण सम्बंधी परियोजना हेतु अवशेष धनराशि ₹0 57.28 लाख (रूपये सत्तावन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किए जाने से पूर्व परियोजना में निहित भूमि के सम्बंध में नगर निगम लखनऊ से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि परियोजना की निहित भूमि सरकारी है एवं निर्विवादित है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगर निगम लखनऊ का होगा तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगर निगम लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना अंतर्गत सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ नगर निगम लखनऊ का होगा।
- (8) प्रायोजन्तर्गत नगर निगम लखनऊ कार्यदायी संस्था होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।
- (9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (10) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-संख्या-2026/231-2026-दस/812-1-बी/2026/4, दिनांक 28.03.2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप नगर निगम लखनऊ द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
- (12) भूमि के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर प्रस्तावित कार्यों की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। नगर निगम लखनऊ से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ नगर निगम लखनऊ का होगा।
- (14) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (15) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।
- (17) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का अभिप्राय है कि डिटेल्ड स्टीमेट, ड्राइंग, डिजाइन, गणनायें, स्थल की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा, कार्य की दर सूची/दस विश्लेषण की दरें एवं लागत को सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (18) प्रस्तुत प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों एवं मात्राओं को आधार नहीं माना जायेगा। नियमानुसार ई-निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें, प्राप्त करते हुए, दरों, स्थल की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार मात्राएँ, डिजाइन एवं विशिष्टियों का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व नगर निगम लखनऊ का होगा।
- (19) निर्माण सामग्री के निर्धारित नामर्स के अनुसार परीक्षण कराकर सामग्री की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, कार्य निर्धारित विशिष्टियों मानक गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराने का उत्तरदायित्व नगर निगम लखनऊ का होगा।
- (20) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (21) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बंधित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथाआवश्यक पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-02 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य मद में के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या-161/2026/1339(1)/आठ-1-26-79 बजट/2018-2068747तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उक्त धनराशि को अंतरित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड आदि की सूचना ईमेल आई०डी ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिव पूजन)
अनु सचिव।